फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बमुकाम बायतु

राजाराम बनाम वरजू कौरा

मुकदमा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं ......84...... सन 2019

	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नं व तारीख अहकाम जो तामील की गई या जारी हुए
..03.2019	प्रार्थी की ओर से वकील श्री नरपत पूनड़ द्वारा यह आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एक पक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। वकील प्रार्थी के अनुसार प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि मौजा खोखर व चाबावास पटवार हल्का खोखर तहसील गिड़ा में आई हुई है। प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि में विप्रार्थी मौके पर हस्तक्षेप और दखलनदाजी कर रहे है तथा बेचान करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढेगी। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 03.04.19 ...... तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा खोखर पटवार हल्का खोखर तहसील गिडा जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 1191 रकबा 52.09 बीघा मौजा चाबावास के खेत खसरा नम्बर 380 रकबा 120.17 बीघा में विप्रार्थीगण किसी प्रकार का बेचान, रहन आदि नही करे तथा मौके व राजस्व रेकर्ड यथास्थिति बनाये रखें । विप्रार्थी को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 03.04.19..... को पेश हों। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
03/04/19	... मिसल ... होकर दिनांक 03/07/19 को पेश हों।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.25 12:12:39 IST
Reason: SelfAttested

03/07/19

...अवकाश में है।
...27/8/19 ...को पेश हो।

27/08/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील होकर तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दीगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इसलिये होकर आगामी दिनांक 14/10/19 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

14/10/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील होकर तामील अप्राप्त। प्रार्थी वकील विपक्षीगणों के नोटिस पुनः पेश करे। पेश होने पर जारी होकर पत्रावली दिनांक 17/12/19 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

17/12/19 प्रार्थी व प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी का दावा जरिये विड्रोवल खारीज हो चुका है इसलिए आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहता है अतः प्रार्थी का उक्त आवेदन इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

17.12.2019

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.25 12:12:39 IST
Reason: SelfAttested